Increase in toll Rates on Four Lane Highways

141. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to increase the toll rates for most of the categories of vehicles on the four lane highways in the country;

(b) if so, what is the quantum of the increase; and

(c) what are the details of the vehicles involved and the highways?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) to (c) No, Sir. But the toll rates are indexed to wholesale price index (WPI) and are reviewed by Government every 3 years. It is levied on Car/Jeep/Van/light commercial vehicles, trucks and buses, heavy construction machinery and Earth Moving equipment.

Raising of Funds for Express Highways Project

142. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the estimated cost of the proposed express highways projects of North-South, East-West and the Golden Quadrilateral connecting four metros;

(b) how the required amount is proposed to be raised;

(c) whether Government have tried to involve private investment, both indigenous as well as foreign, in these mega projects; and

(d) if so, the details thereof and the response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) Approximately Rs. 1,24,000 crores.

(b) The required amount is proposed to be raised through budgetary support, private sector participation and cess on Petrol/Diesel.

(c) and (d) Yes, Sir. Government has finalised a Standard Concession Agreement for such projects which gives various incentives to attract private investments.

कांडला पत्तन न्यास द्वारा तूफान से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता दिया जाना

143. श्री चीमनभाई हरीभाई शाह: क्या जल- भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कांडला पत्तन क्षेत्र में 9 जून, 1998 को आए विनाशकारी तूफान के कारण जिन लोगों के मकान/घर बर्बाद हो गए थे, क्या उन लोगों को कांडला पत्तन न्यास ने भूमि और वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों में से कितने लोगों को अब तक वित्तीय सहायता एवं भूमि उपलब्ध करायी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में हो रहे विलंब के कौन-कौन से कारण हैं; और

(घ) इन प्रभावित लोगों की वर्तमान दशा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान: (क) से (घ) कांडला पत्तन न्यास ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से चक्रवात से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 1 रुपया प्रतिइकाई के सांकेतिक विकास प्रभार और 1 रुपये के वार्षिक भू-किराए पर 25 वर्ग मीटर का प्लाट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ऐसे 3011 परिवार अभिनिर्धारित किए गए हैं। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। कांडला पत्तन न्यास ने परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। यद्यपि, कांडला पत्तन न्यास ने वित्तीय सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है।

चक्रवात के तत्काल बाद कांडला पत्तन न्यास ने चक्रवात से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए सभी नागरिक सुविधाओं के साथ एक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया था। चक्रवात से पीड़ित परिवार अस्थायी रूप से अभी भी शैड में रह रहे हैं। कुछ परिवार स्वेच्छा से कांडला में अपने रहने के मूल स्थान पर वापस चले गए हैं।